राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्
द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

SWSHE
School Water Sanitation & Hygiene Education Cell

फोन नं: 0141–2708487 E-Mail:- swshecell@hotmail.com फैक्स न: 0141–2708487

क्रमांक : F.5(4)(171)/RCEE/SWSHE/School Safety/ 2018 2556 दिनांक : 18/6/18

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि. / मा.शि)
एवं जिला परियोजना समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान / राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
समस्त जिले

विषयः विद्यालय सुरक्षा नीति दिशा निर्देशों की अनुपालना के क्रम में।

मानाव संसाधन विकास मंत्रालय एंव राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्रधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी विद्यालय सुरक्षा नीती के तहत पूर्व में जारी निर्देशों के क्रम में जिला, ब्लाक, पंचायत एवं विद्यालय स्तर पर सुरक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन, मॉनीटरिंग एवं परिषद कार्यालय को त्रैमासिक शाला दर्शन एवं शाला दर्पण पर उपलब्ध फार्मेटस में रिर्पोटिंग हेतु निम्नानुसार नोडल अधिकारी नामित किया जाता है:–

1.1. जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. एवं मा. शिक्षा) सम्बन्धित समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों हेतु नोडल अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता SSA एवं RMSA अतिरिक्त नोडल अधिकारी होगें।
1.2. ब्लाक स्तर पर ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी एवं ब्लाक कनिष्ठ अभियन्ता अतिरिक्त नोडल अधिकारी होगे।
1.3. पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी स्वयं के एवं उनके परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों हेतु नोडल अधिकारी होगें।
1.4. विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन, मोनिटरिंग एवं समय पर सम्बन्धित PEEO को रिर्पोटिंग का दायित्व सम्बन्धित संस्था प्रधान का होगा।
1.5. विद्यालय स्तर पर विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा।

विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की रुपरेखा निम्नानुसार है:–

1. अध्यक्ष : प्राधानाचार्य / प्रधानाध्यापकं
2. उप प्राधानाचार्य / प्राइमरी तथा मिडिल कक्षाओं के अध्यापक / अध्यापिका
3. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)
4. अभिभावक (SMC/SDMC सदस्य)
5. छात्र (एनसीसी,एनएसए,स्काउट तथा गाइड, हेड ब्वाय तथा हेड गर्ल)
6. राहत / राजस्व / आपदा प्रबंधन विभाग / जिला प्रशासन / नगर निगम के प्रतिनिधि / ग्राम पंचायत के प्रतिनिधी
7. अग्नि–शमन सेवाओं के प्रतिनिधि (निकटतम दमकल केंद्र से) अथवा नागरिक रक्षा कार्मिक
8. पुलिस के प्रतिनिधि (निकटतम पुलिस थाने से)
9. स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि (स्थानीय डाक्टर)
10. सिविल डिफेंस से एक वार्डन

नीचे उल्लिखित उप–समितियॉ विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) के संपूर्ण पर्यवेक्षण के अंतर्गत काम करेगी। निम्नलिखित उप–समितियों का गठन किया जा सकता है:–

- जागरुकता सृजन, चेतावनी तथा सूचना प्रचार–प्रसार टीम।

- आपदा के समय सुरक्षित निकास टीम।
- खोज तथा बचाव टीम (इस टीम के सदस्य केवल अध्यापक होगे)
- अग्नि सुरक्षा टीम।
- प्रथम उपचार टीम।
- बस सुरक्षा टीम (प्रत्येक बस के लिए)
- स्थल सुरक्षा टीम।

प्रथम उपचार और स्थल सुरक्षा टीम के लिए, निकटतम पुलिस केंद्र, पुलिस थाना, अस्पताल,स्वास्थ्य सेवाएं तथा दमकल केंद्र के प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की द्वितीय त्रैमासिक रिर्पोट शाला दर्शन एवं शाला दर्पण पर उपलब्ध मॉडयूल में (फार्मेट में) 10 जुलाई तक PEEO के माध्यम सें अनिवार्य रुप सें भरवाना सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त त्रैमासिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट परिषद को दोनो पोर्टल्स के माध्यम से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

(डॉ.जोगा राम)
आयुक्त, रा.प्रा.शि.प

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर
4. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा बीकानेर
5. अतिरिक्त परियोजना समन्वयक, SSA /RMSA जिला–समस्त जिले
6. सहायक अभियन्ता, SSA /RMSA जिला–समस्त जिले
7. रक्षित पत्रावली

(राजेश कुमार सैनी)
अधिशाषी अभियन्ता

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

विद्यालय सुरक्षा

आपदा प्रबन्धन दिशा-निर्देश

-: सम्पर्क सूत्र :-

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद

SWSHE Cell, तृतीय तल, ब्लॉक 5,

शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

दूरभाष : 0141-2708487 ई-मेल : swshecell@hotmail.com

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक : 986 दिनाक : 27/5/18

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि. एवं मा.शि)
एवं जिला परियोजना समन्वयक, SSA/RMSA
जिलाः समस्त

विषयः विद्यालय सुरक्षा नीति अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन दिशानिर्देशानुसार विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को सुरक्षित वातावरण व व्यवस्था सुनिश्चित करने के क्रम में।

संदर्भः अवर शासन सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्र क्रमांक F.No.4-I/2016-EE.16 दिनांक 25.01.2018 के क्रम में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 14 अगस्त 2017 के रिट पेरिशन न. 483/2014 श्री अविनाश मेहरोत्रा एवं भारत सरकार एवं अन्य के क्रम में प्रदत निर्णय की अनुपालना में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विद्यालयों मे अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला एवं विद्यालय स्तर पर विद्यालय सुरक्षा हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना आपेक्षित है:–

विद्यालय सुरक्षा सलाहकार समिति का गठनः– जिलाधीश की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति गठित की जाएगी इसमें जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा एवं मा शि) सदस्य सचिव तथा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (SSA/RMSA), ब्लाक शिक्षा अधिकारी BEOs एवं PEOs सदस्य होगें। जिला स्तरीय समिति द्वारा जिले के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की सुरक्षा एवं विद्यालय में सुरक्षित वातावरण व व्यवस्था प्रदान करने के लिए निम्नांकित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा:–

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार के साथ मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार हैं। बच्चों के साथ विद्यालयों में किसी प्रकार की प्रताडना, भेदभाव, सामुहिक दण्ड देना या अभद्र व्यवहार करना उनकी स्वतंत्रता व सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार को बाधित करता है तथा उन्हें विद्यालय छोडने के लिए प्रेरित करता है। विद्यालय में बच्चो के साथ दण्डात्मक एवं अभद्र व्यवहार उनके सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकार के विरुद्व है। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए।

3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (e) एवं 39 (f) के निर्देश है कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को ऐसी सुविधाए एवं अवसर प्रदान किए जाए जिससे उनका सर्वागीण विकास हों सके तथा उनका किसी भी प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक शोषण नहीं किया जा सकें। अतः बच्चो की सुरक्षा हेतु निम्नांकित को सुनिश्चित किया जाए:–

(अ) विद्यालय भवन की लोकेशन (Location): - विद्यालय भवन में बच्चों की सुरक्षा हेतु निम्नांकित प्रयास किए जाएँ:–

1. विद्यालय भवन के चारों तरफ चारदिवारी या पेड–पौधों से फैनसिंग की जाए जिसमें एक गेट भी हों जिसे ताला लगाकर बन्द किया जा सकें।
2. विद्यालय के समीप जर्दो एवं अन्य नशीले पदार्थो (ड्रग्स) को बेचने वाली दुकानों को हटवाया जाए।
3. विद्यालय में आने के लिए एप्रोच रोड का निर्माण करवाया जाए तथा जिन क्षेत्रों में भारी ट्रेफिक रहता है वहाँ विद्यालय आने एवं जाने के समय बच्चों की सुरक्षा हेतु ट्रेफिक नियंन्त्रण की विशेष व्यवस्था की जाएँ।
4. विद्यालय आते व जाते समय रास्ते में होने वाली सम्भावित घटनाओं से बचाव व सुरक्षा के उपायों पर छात्र–छात्राओं एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए।
5. अभिभावको एवं समुदाय को बच्चों का घर से दूर स्थित विद्यालय में नांमाकन करवाने के स्थान पर उनके घर के समीप स्थित विद्यालय में प्रवेश हेतु जागरुक किया जाए।

6. विद्यालय की बसों एवं बच्चों के अन्य परिवहन के संसाधनों पर एक विशिष्ट रंग निर्धारित किया जाए। साथ ही विद्यालय वाहन चालकों एवं सहायकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया जाए। वाहन में बालिकाओं की सुरक्षार्थ महिला सहायिका की व्यवस्था की जाए।

(ब) विद्यालय भवन

विद्यालय भवन सभी ऋतुओं/मौसमों के अनुकल हो जिसमें निम्नांकित मापदण्डों को पूरा किया जाए:-

1. सुरक्षित पेयजल स्रोत के साथ बालक –बालिकाओं के लिए क्रियाशील स्वच्छ एवं पृथक–पृथक शौचालय सुविधा जिसमें प्रोपर ड्रेनेज एवं वेस्ट डिस्पोजल तथा रनिंग वाटर या पानी की व्यवस्था उपलब्ध हो।
2. सुरक्षित एवं पृथक किचिन शेड उपलब्ध हों जिसमें खाद्य सामग्री के भण्डारण की उचित व सुरक्षित व्यवस्था हो जिसमें भोज्य सामग्री को कीडे–मकोडों एवं चूहों से सुरक्षित रखा जा सके।
3. विद्यालय भवन भूकम्प रोधी हो तथा आग एवं बाढ (Flood) से सुरक्षा प्रदान करने योग्य हो जिससें आपदा के समय बच्चो को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा सके। विद्यालय भवन का सुरक्षा आडिट भी करवाया जाए।
4. विद्यालय भवन/कमरों में आपातकालिन परिस्थितियों में निकलने के लिए पर्याप्त दरवाजे होने चाहिये।
5. आग लगने की स्थिती में बचाव के लिए पर्याप्त पानी एवं मिट्टी (रेत) व अग्नि शमन यन्त्र उपलब्ध होने चाहियें।
6. विद्यालयवार आपदा प्रबन्धन की योजना बनाई जाए जिससे आपातकालिन परिस्थितियों में विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंन्धन प्रधिकरण (National Disaster Management Authority Manuals) के मेनुअल (Manual for School Safety) का उपयोग किया जाए। यह मेनुअल www.ndmindia.nic.in पर उपलब्ध है।
7. विद्यालय भवन में कहीं भी बिजली के तार असुरक्षित रुप से नहीं लगे हों। यदि कही टुटे हुए या असुरक्षित स्थिती में है तों उन्हें शीघ्र ठीक करवाया जाए।
8. कक्षा–कक्ष एवं विद्यालय भवन की स्वच्छता के लिए समय–समय पर सफेदी (White Washed) करवायी जाए।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(नरेशपाल गंगवार) 27/4
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : 987

दिनांक : 27/4/18

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. अवर सचिव, MHRD,GoI को उनके पत्रांक F.No.4-I/2016-EE.16 दिनांक 25.01.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
3. निजी सचिव, आयुक्त, रा.प्रा.शि.प.
4. राज्य परियोजना निदेशक, रा.मा.शि.प.,जयपुर
5. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रा.प्रा.शि.प./रा.मा.शि.प., जयपुर
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, SSA/RMSA समस्त जिले
7. सहायक अभियन्ता, SSA/RMSA समस्त जिले
8. रक्षित पत्रावली

(डॉ जोगा राम)
आयुक्त

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर
(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.15100)

क्रमांकः– एफ–3 / राल्सा / DS-II/2017/21441– 21449 दिनांक :– 19.09.2017

प्रेषिति :

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार,
2. प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर
3. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा संकूल, जयपुर
5. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
6. आयुक्त, राज्य परिवहन विभाग,
7. उप सचिव, (मान्यता) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली

विषयः– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा के संबंध में दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बालक हमारे देश के भावी नागरिक है और शिक्षा अर्जन हेतु वे अपने घर से विद्यालय आते हैं एवं विद्यालय आने जाने हेतु बस, मिनी बस, आदि का उपयोग करते है। बालक विद्यालय में सुरक्षित रहे इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विद्यालयों में तथा स्कूल वैन में बच्चों की सुरक्षा को लेकर तथा बच्चों के विरूद्ध गठित होने वाले अपराधों की रोकथाम के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न दिशा निर्देशों की पालना कठोरता से करवाया जाना सुनिश्चित किया जायें ताकि हमारे देश के बालक सुरक्षित रूप से घर से विद्यालय आ जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

सादर।

भवदीय,

19/9

(एस.के.जैन)
सदस्य सचिव
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

क्रमांक :– 21450 – 21486 दिनांक :– 19-09-2017

1. अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि दिशानिर्देशों की सभी संबंधित से पालना करवाना सुनिश्चित किया जावें।
2. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर / जयपुर।

उप सचिव द्वितीय 19/09/17.

SUPREME COURT GUIDELINES ON CHILD SAFETY IN SCHOOLS

Guidelines regarding prevention of sexual assault, rape and other related crimes on school going children in the school premises/bus.

1. School management should ensure that no school children are handed over to anyone except parents/or those authorized by the parents. (Through ID Cards).
2. No minor female students should be left alone with male staff.
3. School management should install sufficient CCTV cameras on its premises and also facing road and entry, exit and periphery.
4. In case of emergency principal shall personally authorize custody of the child to a female teacher until the parent/guardian come and take stock of the situation.
5. Senior sections should be separated from junior ones.
6. School management should ensure that there are separate male/female toilets and both at a distant from each other. Female attendants (Ayah) should be appointed to monitor near the female toilets.
7. School management should compulsorily insist for police verification certificate with antecedent and address verification while appointing/hiring teachers, physical instructors, lab technicians, drivers, janitors and other support staff including the security.
8. School management should ensure they hire staff from the reputed outsourced vendors in transport, security, housekeeping and canteen sections.
9. School management should insist that the vendors should compulsorily get the verification done to the staff who are supplied by them and produce the verification certificate to the principal before deputing them on duty to the schools.
10. School management should appoint security guards. Along with male guards female guards should be deployed at the entrance and exit gates during school hours.
11. School management should make security guard responsible to go round the entire campus and class rooms after the school is over to ensure nobody is there in the class and report to the principal or senior teacher.
12. School management should send a circular to the parents of the children who are using private 3 wheeler/four wheeler/cabs or any form of transport to get satisfied about their conduct and antecedents along with proper address.
13. School management should ensure that all areas of the school premises like class rooms, led play-grounds, canteens, corridors, etc. should be regularly monitored and un-authorized person should be questioned for their presence.
14. School management should appoint some staff as vigilance monitors on rotation to keep an eye on all activities of kids arrival and departure from school, during playtime, mealtimes, near toilets etc.
15. School management should ensure that no child should be given dark room or solitary confinement punishments.
16. School management should set up an internal vigilance committee comprising of staff, parents and education department officials and meet periodically and discuss the issues concerning the deficiencies in security and related issues and take corrective actions.
17. School should nominate coordinator counselor for parents to inform about their concerns to him/her in confidence.

18. School management should periodically or during their meetings with both teaching and non-teaching staff discuss about issues concerning safety issues of children and take feedback from the staff.

19. Schools should take attendance of children at the beginning of school, after lunch and at the time of school closing. In case if any students are not available then immediately the matter should be brought to the notice of the parents/guardians and to the concerned including police.

20. The school principals should give strict instruction to the van drivers and van attendants not to pick up any un-authorized persons into the vehicle who are not connected with the school.

21. The bus the driver/attendant should not allow the child to get down in the middle other than the place of residence from where the child was picked up.

22. School management should install Display board regarding “Dos & Dont’s” in front of the School/College premises.

23. School management may introduce Group messaging system.

24. Transport Guidelines: Keeping in view the safety of the school All rules and regulations of the Government and Transport Department and the following guidelines issued by the Hon’ble Supreme Court of India with regard to safety of school buses carrying children have to be followed in letter and spirit keeping in view the safety of school going children:

    a. School buses should be painted yellow.

    b. School Bus must be written on the back and front of the bus. If it is hired bus, “on School Duty” should be clearly indicated.

    c. Bus should have a First Aid Box.

    d. Bus should be fitted with speed governor of specified standard.

    e. The windows of Bus should be fitted with horizontal grills.

    f. There should be a fire extinguisher in the Bus.

    g. School Name and Telephone No. Must be written on the Bus.

    h. The doors of the Bus should be fitted with reliable locks.

    i. To keep the school bags safely, there should be a space fitted under the seats.

    j. There must be a qualified attendant in the Bus to attend to Children.

    k. Any parent or guardian sitting in the bus or a teacher may also travel to ensure these safety norms.

    l. The driver should have at least 05 years of experience of driving heavy vehicles.

    m. A driver who has been challenged (Fined) more than twice in a year for offences like red light jumping, violation of lane discipline of allowing unauthorized person to driver cannot be employed.

    n. A driver who has been challenged (Fined) even once for the offence of over speeding, drunken driving and dangerous driving etc. cannot be employed.

विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना आदर्श रूपरेखा– राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी)

खंड 1 : प्रस्तावना :

क. विद्यालय का विवरण *{अनुबंध–I में संलग्न आरूप (फार्मेट)}।*

ख. योजना का लक्ष्य तथा उद्देश्य।

ग. विद्यालय की भौगोलिक अवस्थिति।

मार्गदर्शन टिप्पणी :

- योजना के इस खंड में अनुबंध–I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विद्यालय से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें योजना के उद्देश्य, हितधारक जो इस योजना का उपयोग करेंगे और सदस्य जो योजना के क्रियान्वयन समीक्षा तथा अद्यतन के लिए उत्तरदायी होंगे, का भी उल्लेख होना चाहिए।
- इस खंड में विद्यालय का मानचित्र भी शामिल किया जा सकता है।

खंड 2 : विपदा जोखिम तथा असुरक्षितता आकलन

क. गैर–संरचनात्मक आकलन *(इस आकलन को व्यावहारिक रूप में सभी अध्यापकों तथा चुने गए विद्यार्थियों द्वारा एक समूह अभ्यास में किया जा सकता है)*।

ख. संरचनात्मक आकलन (इसको किसी सिविल इंजीनियर, लाइसेंस–प्राप्त भवन (बिल्डिंग) सर्वेक्षक द्वारा किया जाना है)।

ग. विद्यालय के परिसर के बाहर विपदाओं को पहचानना (सड़क सुरक्षा, औद्योगिक विपदा, रासायनिक विपदा, खुले नालों का ऊपर तक भर जाना आदि)।

घ. उन आपदाओं/दुर्घटनाओं जिन्होंने विद्यालयों को प्रभावित किया, का डेटाबेस।

ङ. विद्यालय परिसर के भीतर स्थित असुरक्षित स्थानों की पहचान करना।

च. प्रशमन के लिए मुख्य निष्कर्षों और कार्यों के निर्धारण संबंधी विवरण का सार।

मार्गदर्शन टिप्पणी :

योजना के इस खंड में सारा ध्यान संरचनात्मक तथा गैर–संरचनात्मक तत्वों के कारण उत्पन्न हुए संभावित जोखिमों तथा विद्यालय की बिल्डिंग के अन्दर स्थित विभिन्न असुरक्षित क्षेत्रों की पहचान करने पर दिया जाएगा।

विद्यालय की बिल्डिंग में गैर–संरचनात्मक तथा संरचनात्मक कमियों को ढूंढने के लिए, विद्यालय प्रशासन (शारीरिक शिक्षा अध्यापक सहित), निकटतम दमकल केंद्र (फायर स्टेशन) से अधिकारी/सिविल डिफेंस पोस्ट वार्डन, निकटतम स्वास्थ्य केंद्र/अस्पताल/नर्सिंग होम, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (डॉक्टर/नर्स/स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता), निकटतम पुलिस थाने से अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), एसएसए से इंजीनियर, नगर निगम/जिला परिषद के सदस्यों के साथ एक समिति गठित की जा सकती है जो बिल्डिंग में गैर–संरचनात्मक तथा संरचनात्मक कमियों को ढूंढने में मदद करेंगे। इसी प्रकार यह

समिति विद्यालय परिसर के बाहर संभावित विपदा की पहचान भी कर सकती है विशेषतः विद्यालय की बिल्डिंग के बाहर सड़क/यातायात (ट्रैफिक) से जुड़े जोखिम, उद्योग जोखिम (रासायनिक विपदा) जो विद्यालय के आसपास खतरनाक उद्योग के स्थित होने के कारण हो सकते हैं।

विपदा के कारणों को ढूंढने की यह गतिविधि कुछ स्पष्ट जोखिमों की पहचान करने में मददगार होगी जैसे विद्यालय में बिजली के पैनल की गलत जगह पर फिटिंग, खुले बिजली के पैनल, नंगी तारें यदि कोई हों, अलमारी तथा फर्नीचर का गलत जगह पर रखा होना, आपदा से विद्यालय में बचने के लिए बाहर निकलने के रास्ते में रूकावट अथवा ऐसी कोई वस्तु जो भूकंप के दौरान गिर सकती है जैसे ग्लास पैनल, गमला आदि।

योजना के इस खंड में पूर्व में घटित किसी आपदा से संबंधित दस्तावेज तैयार किए जा सकते है अथवा उसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जा सकता है जिसने विद्यालय अथवा उसके आसपास के क्षेत्र को प्रभावित किया हो।

खंड 3 : आपदा से निपटने की तैयारी

योजना के इस खंड में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए :

क. **विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन, प्रमुख दल (कोर टीम) का संघटन तथा आपदा के विभिन्न चरणों के दौरान समिति की भूमिका तथा उत्तरदायित्व।**

ख. **उप समूह का गठन** तथा आपदा के पहले, उसके दौरान तथा आपदा के बाद प्रत्येक टीम/कार्य बल की भूमिका तथा उत्तरदायित्व की पहचान। विद्यालय में निम्नलिखित टीम/कार्य बल बनाये जाएंगे।

i. *जागरूकता सृजन, चेतावनी तथा सूचना प्रचार–प्रसार टीम।*
ii. *सुरक्षित निकास टीम।*
iii. *खोज तथा बचाव टीम (इस टीम के सदस्य केवल अध्यापक होंगे)।*
iv. *अग्नि सुरक्षा टीम।*
v. *प्रथम उपचार टीम।*
vi. *बस सुरक्षा टीम (प्रत्येक बस के लिए)–जहाँ भी लागू हो।*
vii. *स्थल सुरक्षा टीम।*

<u>मार्गदर्शन टीम :</u>

योजना के इस खंड में सारा ध्यान आपदा से निपटने की तैयारी पर दिया जाएगा। आपदा से निपटने के लिए तैयारी के उच्चतर स्तर से जान को होने वाली हानि को कम करने तथा लोगों को लगने वाली चोटों की रोकथाम करने में मदद मिलती है, खास तौर पर भूकंपों के दौरान जिनके लिए कोई चेतावनी नहीं होती है। तथापि, बाढ़, चक्रवात आदि जैसी कुछ अन्य विपदाओं के मामले में पूर्व चेतावनी प्रणाली मौजूद होती है जिसके द्वारा कार्रवाई करने के लिए कुछ समय प्राप्त हो जाता है। बच्चों जो आने वाले कल का भविष्य हैं, को शिक्षा हेतु एक सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित कराना और उनको आपदा से कारगर ढंग से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। इस बात को व्यवहार में लाने के लिए, यह सिफारिश की जाती है कि प्रत्येक विद्यालय में आपदा से निपटने के लिए बेहतर तैयारी और कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए एक विद्यालय स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के साथ–साथ उप

समितियाँ भी गठित की जानी चाहिए। एक विद्यालय में गठित विभिन्न समितियों में सदस्य अध्यापकों, गैर–अध्यापन स्टाफ के साथ–साथ छात्रों में से भी लिए जाएंगे। तथापि, कुछ समितियों जैसे खोज तथा बचाव समिति, में छात्रों को लेने की सिफारिश नहीं की गई है। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की अनुशंसित रूपरेखा निम्नानुसार है :

1. अध्यक्ष : प्रधानाचार्य
2. उप प्रधानाचार्य, प्राइमरी तथा मिडिल क्लासों के प्रमुख
3. क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी
4. अभिभावक शिक्षक संघ अध्यक्ष
5. 4 छात्र (एनसीसी, एनएसएस, स्काउट तथा गाइड, हेड ब्वाय तथा हेड गर्ल)
6. राहत/राजस्व/आपदा प्रबंधन विभाग/जिला प्रशासन/नगर निगम के प्रतिनिधि
7. अग्नि–शमन सेवाओं के प्रतिनिधि (निकटतम दमकल केंद्र से) अथवा नागरिक रक्षा कार्मिक
8. पुलिस के प्रतिनिधि (निकटतम पुलिस थाने से)
9. स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि (स्थानीय डॉक्टर)
10. सिविल डिफेंस से एक वार्डन

नीचे उल्लिखित उप–समितियाँ विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) के संपूर्ण पर्यवेक्षण के अंतर्गत काम करेंगी। निम्नलिखित उप–समितियों का गठन किया जा सकता है :

- जागरूकता सृजन, चेतावनी तथा सूचना प्रचार–प्रसार टीम।
- सुरक्षित निकास टीम।
- खोज तथा बचाव टीम (इस टीम के सदस्य केवल अध्यापक होंगे)।
- अग्नि सुरक्षा टीम।
- प्रथम उपचार टीम।
- बस सुरक्षा टीम (प्रत्येक बस के लिए)।
- स्थल सुरक्षा टीम।

प्रथम उपचार और स्थल सुरक्षा टीम के लिए, निकटतम पुलिस केंद्र, पुलिस थाना, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं तथा दमकल केंद्र के प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। आपदा के साथ–साथ शांतिकाल के दौरान इन समितियों की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है।

ग. संसाधन माल–सूची

i. विद्यालय परिसर के अंदर उपलब्ध संसाधनों जिनका उपयोग आपदा की स्थिति के दौरान कारगर कार्रवाई के लिए किया जा सकता है, की सूची।

ii. एक–पाँच किलोमीटर के अंदर स्थित विद्यालय के बाहर संसाधनों की पहचान तथा सूची बनाना।
   - क) आपातकालीन इलाज के लिए निकटतम अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र।
   - ख) पुलिस थाना।
   - ग) दमकल केंद्र (फायर स्टेशन)।

iii. **प्रधानाचार्य कक्ष में महत्त्वपूर्ण टेलीफोन नम्बरों को अद्यतन करना (अपडेशन)।**

iv. विद्यालय द्वारा प्रत्येक बच्चे की **गंभीर स्वास्थ्य समस्या रिकार्ड** का रखरखाव करना और इसे बच्चे के पहचान–पत्र (आई–कार्ड) पर उसके रक्त समूह के साथ उसके अभिभावक/संरक्षक अथवा वैकल्पिक संपर्क व्यक्तियों के **अद्यतन संपर्क ब्यौरों** सहित प्रदर्शित करना।

v. **आपदा से निपटने की तैयारी संबंधित जाँच–सूची** (अनुबंध–II में संलग्न)

घ. **छात्रों तथा अध्यापकों को विद्यालय के समय के दौरान चेतावनी देने के लिए प्रक्रम (मकैनिज्म) जिसमें अलार्म का लगाया जाना शामिल है।**

ङ. **उचित स्थान पर सुरक्षित निकास (इवैक्युएशन) योजना सहित विद्यालय का मानचित्र (अनुबंध–III में संलग्न)**

च. विभिन्न तैयारी कार्यकलापों के संचालन के लिए इनको लागू करने की योजना सहित **वार्षिक कलैण्डर।** इसमें प्रतिवर्ष विद्यालय द्वारा संचालन किए जाने वाले विभिन्न जागरूकता सृजन कार्यक्रमों की सूची शामिल होगी।

छ. **कृत्रिम अभ्यासों के संचालन के लिए कार्य योजना** और इनमें कमियों को दूर करने के लिए एक जाँच–सूची को तैयार करना।

ज. आपदा प्रबंधन योजना का इसकी समय–सीमा तथा इसमें अध्यापकों तथा अन्य गैर–अध्यापन स्टाफ की भूमिकाओं के साथ इसको किए जाने की प्रक्रिया को दर्शाते हुए **आपदा प्रबंधन योजना के अद्यतन कार्य हेतु अपेक्षित कदम।**

<u>संसाधन की माल–सूची हेतु मार्गदर्शन टिप्पणी :</u>

आपदा से निपटने की तैयारी के अभ्यास के भाग के रूप में, प्रत्येक विद्यालय को अनिवार्य रूप से एक विद्यालय आपदा प्रबंधन किट तैयार करनी चाहिए। यह प्रस्ताव किया गया है कि आपातकाल में मदद के लिए निकटतम अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्र/स्वास्थ्यकर्ता के साथ विद्यालय प्रबंधन द्वारा एक नेटवर्क की स्थापना की जाए, विद्यालय आपदा प्रबंधन किट के लिए खरीदने हेतु मदों की प्रस्तावित सूची नीचे दी गई है। तथापि, यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में इस संसाधन सूची में और बढ़ोतरी के लिए अन्य बाहरी संसाधन (राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अनुदान जैसे एमपीएलएडी/एमएलएएलएडी आदि) के लिए प्रावधान होना अनिवार्य है।

i. स्ट्रेचर।
ii. सीढ़ियाँ (लैडर)।
iii. मोटी रस्सी।
iv. टॉर्च।
v. प्रथम उपचार बक्सा।
vi. स्थायी शरण व्यवस्था (तम्बू तथा तिरपाल)।
vii. रेत की बाल्टियाँ।
viii. आग बुझाने वाले यंत्र (फायर एक्सटिंगुशर्स)।

} विद्यालय आपदा प्रबंधन किट का प्रावधान।

<u>सुरक्षित निकास योजना सहित विद्यालय मानचित्र</u>

यह सिफारिश की गई है कि प्रत्येक तल के लिए एक सुरक्षित निकास योजना तैयार की जाए और उसे प्रमुखता से प्रत्येक तल (फ्लोर) के नोटिस बोर्ड पर दर्शाया जाए। सुरक्षित निकास योजना पर सुरक्षित निकास टीम द्वारा अध्यापकों तथा छात्रों के साथ चर्चा की जाए ताकि कृत्रिम अभ्यास संचालन में मदद के

लिए उनके बीच जागरूकता पैदा की जा सके। (संदर्भ के लिए एक नमूना सुरक्षित निकास मानचित्र अनुबंध–III में संलग्न है।

कृत्रिम अभ्यास हेतु मार्गदर्शन टिप्पणी

कृत्रिम अभ्यास आपदा से निपटने की तैयारी योजना से संबंधित बातों की सूची तैयार करने का एक उपाय है। भूकंप, आग से बचाव आदि पर कृत्रिम अभ्यास कुछ अवधियों मुख्यतः हर छह महीनों में एक बार, के अंतर पर किया जा सकता है और योजना के अद्यतन (अपडेशन) के लिए अभ्यास की कमियों का आकलन किया जा सकता है। योजना के इस खंड में कृत्रिम अभ्यासों के संचालन के लिए अपनाए जाने वाले कदमों तथा अध्यापकों, गैर–अध्यापन स्टाफ तथा छात्रों के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि जरूरत हो तो विद्यालय को सहायता के लिए अग्नि शमन सेवा अधिकारियों तथा प्रशिक्षित सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों को आमंत्रित करना चाहिए। भूकंप पर अभ्यास के लिए अपनाए जाने वाले कुछ कदमों का उल्लेख नीचे किया गया है।

भूकंप अभ्यास :

i. झुको, ढको तथा पकड़ो का अभ्यास।
ii. बिना धक्का–मुक्की किए तथा गिरे, एक मिनट से कम समय में कक्षा को खाली करना।
iii. बाहर निकलने के विभिन्न रास्तों का उपयोग करते हुए चार मिनट से कम समय में विद्यालय से बाहर निकलना।
iv. अपने मित्रों की तलाश करना।
v. कमजोर इलाकों/टूटी–फूटी इमारतों से दूर रहना।
vi. उनकी मदद करना जिन्हें सहायता की जरूरत है (विकलांग बच्चों के बचाव के लिए अग्रिम में कार्य बल के सदस्यों को तय करना)।

आग/रासायनिक दुर्घटना से बचाव के लिए अभ्यास :

i. कक्षा से सुरक्षित बाहर निकलना।
ii. ज्वलनशील द्रव/रसायन के सुरक्षित भंडारण को सुनिश्चित करना।
iii. बिजली के स्विचों को बंद करना तथा गैस कनेक्शनों को हटाना अथवा बंद करना।

ज. क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण :

छात्रों तथा अध्यापकों का क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्य आपदा की स्थिति में विद्यालय जाने वाले समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम है। प्रति वर्ष, उचित संख्या में अध्यापक तथा छात्रों को आपदा प्रबंधन के उपायों से संबंधित विभिन्न तरीकों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

अध्यापकों, गैर–अध्यापन स्टाफ तथा छात्रों के लिए आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य योजना में सभी कार्य बलों का गठन कार्य तथा रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन भी शामिल किया जाएगा। इसमें प्रशिक्षित अध्यापकों तथा छात्रों के ब्यौरों का दस्तावेज तैयार करना भी शामिल किया जा सकता है।

झ. जागरूकता सृजन तथा सुग्राहीकरण (सेंसटाइजेशन) :

जागरूकता सृजन/सुग्राहीकरण आपदा से निपटने की तैयारी के उपायों का एक हिस्सा है जिसका लक्ष्य जिनमें छात्र, अध्यापक तथा अधिकारी/अभिभावक सहित सभी हितधारकों और विद्यालय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के प्रति सुग्राहीकरण तथा उन पर शिक्षा प्रदान करना है। यह प्रस्ताव किया गया है कि छात्र/अध्यापक आदि की संलिप्तता वाले विभिन्न कार्यकलापों को शामिल करके ऐसे कार्यक्रमों का एक वार्षिक

कलैण्डर तैयार किया जाए और उन कार्यक्रमों में बाहर के विशेषज्ञों को भी विद्यालय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया जाए।

जागरूकता पैदा करने के लिए विद्यालय प्रबंधन द्वारा किए जा सकने वाले कुछ उपाय निम्नानुसार हैं :

क. विद्यालयों में पोस्टर, ऑडियो–विजुअल क्लिप, वाद–विवाद प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, खेल क्रियाकलाप, चित्रकारी प्रतियोगिता, रैली के आयोजन के माध्यम से।

ख. विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर महत्त्वपूर्ण सूचना को प्रदर्शित करना जिसमें विद्यालय से सुरक्षित निकास की योजना तथा मौसम के हाल संबंधी अखबार की कतरन को लगाया जाना शामिल है।

ग. शिक्षा के वातावरण को सुरक्षित बनाने पर सम्मेलन तथा भाषणों का आयोजन करना और ऐसे सम्मेलनों में अभिभावकों को शामिल करना।

घ. विद्यालय के वार्षिक कलैण्डर में किसी एक महीने को आपदा से निपटने के लिए *तैयारी मास* के रूप में मनाना।

खण्ड 4 : कार्रवाई :

क. विपदा–विशिष्ट कार्रवाई योजना जिसमें वार्षिक समारोह, खेल दिवस आदि जैसे विशेष दिनों पर भगदड़ से बचने के लिए भीड़ का प्रबंधन शामिल है।

ख. विद्यालय शिक्षा को जारी रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम। (आपदा के दौरान तथा बाद में शिक्षा को प्रदान किया जाना, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ विद्यालय का राहत शिविरों के रूप में उपयोग किया जाएगा।)

ग. सरकार को आपातस्थिति/आपदाओं की रिपोर्ट देना।

घ. विकलांग छात्रों के लिए विशेष प्रावधान।

<u>मार्गदर्शन टिप्पणी :</u>

योजना का यह खंड बहुत स्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए जिसमें आपदा की स्थिति के दौरान अध्यापक, गैर–अध्यापन स्टाफ तथा छात्रों की विभिन्न भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों को दर्शाया गया हो। योजना में यह स्पष्ट उल्लेख हो कि भूकंप, आग, बाढ़, चक्रवात अथवा भगदड़ या किसी छात्र द्वारा झेली जा रही स्वास्थ्य समस्याओं जैसी किसी आपातिक स्थिति के मामले में क्या कदम उठाए जाएं। योजना में विद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले सभी कदम शामिल होने चाहिए जिनमें प्रभावित स्थल से बच्चों को सुरक्षित निकाले जाने से लेकर उनको उनके अभिभावकों को सौंपना शामिल है। इस योजना में विद्यालय में किसी आपदा के दौरान अथवा इसके तुरंत बाद बिजली, पानी तथा भोजन, प्रारंभिक प्रथम उपचार जैसी अनिवार्य सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए जाने वाले सभी अन्य कदम शामिल हैं।

खंड 5 : प्रशमन उपाय :

क. विद्यालय द्वारा एक समय–सीमा में किए जाने वाले विभिन्न गैर–संरचनात्मक उपायों की सूची बनाना।

i. सुरक्षित निकास, सीढ़ियों को सुनिश्चित करना जिनका आपदा के दौरान सुरक्षित निकास मार्ग के रूप में उपयुक्त किया जाना है।

ii. रसायन प्रयोगशाला–रसायनों के भंडारण के लिए उपयोग की गई बोतलों को सुरक्षित रखा गया है और उन्हें टूट–फूट से बचा कर रखा गया है।
iii. अलमारियों को स्टाफ रूम की दीवारों के साथ भली–भाँति फिक्स किया गया है।
iv. पंखों तथा बिजली–तारों आदि को सीलिंग से भली–भाँति जोड़ना।
v. अग्नि सुरक्षा उपाय।

ख. सुरक्षा की जाँच (सेफ्टी ऑडिट)

i. बिजली–मकैनिक द्वारा बिजली के तारों आदि की सुरक्षा जाँच करना।
ii. विद्यालय के अंदर आग लगने के संभावित स्रोतों तथा ज्वलनशील चीजों की पहचान करके उनकी अग्नि सुरक्षा संबंधित जाँच करना।
iii. दोपहर के भोजन के दौरान दिए गए खाने (मिड–डे मील) की गुणवत्ता की जांच–पड़ताल करना।
iv. विद्यालय में जलापूर्ति की शुद्धता की जांच करना।
v. रसोई तथा शौचालयों में सफाई की स्थिति की जांच करना।

मार्गदर्शन टिप्पणी :

योजना के इस खंड में सारा ध्यान विद्यालय द्वारा किए जाने वाले प्रशमन उपायो पर रखा जाएगा। प्रशमन की योजना बनाना एक दीर्घावधिक प्रक्रिया है और इसलिए निश्चित समय–सीमा में कार्यों की प्राथमिकताओं के आधार पर रणनीति को हिस्सों में बाँटना अनिवार्य है। यह भी जरूरी है कि आपदा के खतरे की प्रकृति और आपदा द्वारा मनुष्य की जान को हानि पहुँचाने तथा उसको चोट पहुँचाने की क्षमता के आधार पर कार्यों की प्राथमिकता बनाई जाए। कुछ गैर–संरचनात्मक उपाय जैसे अलमारियों को दीवार के साथ फिक्स करना, बाहर निकलने के मार्गों को बाधा–रहित बनाना, प्रयोगशाला के सामान के भंडारण की उचित व्यवस्था, चेतावनी–अलार्म को लगाने का कार्य तुरंत मामूली लागत पर किया जा सकता है, कुछ अन्य प्रशमन उपाय जैसे बड़ी इमारतों के मरम्मत कार्य, के लिए अधिक समय तथा फंड की जरूरत होगी।

प्रशमन कार्रवाई के भाग के रूप में, विद्यालय द्वारा आवधिक आधार पर अग्नि सुरक्षा तथा विद्युत, सुरक्षा के लिए विद्युत विभाग/बोर्ड, अग्नि–शमन सेवाओं, पीडब्ल्यूडी आदि के अधिकारियों की मदद से सुरक्षा जांच भी कराई जानी चाहिए। अन्य उपाय जैसे विद्यालय में पीने के पानी की शुद्धता की जांच तथा सफाई की स्थिति की देख–रेख आदि का काम भी किया जाना चाहिए।

(अनुबंध–I)

विद्यालय की रूपरेखा का विवरण

1. विद्यालय का नाम तथा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किया गया कोड नम्बर।
2. पिन कोड सहित डाक पता।
3. संपर्क नम्बर।
4. अध्यापकों की संख्या - पुरूष ________ महिला ________
5. छात्रों की संख्या - बालक ________ बालिका ________
6. विकलांग छात्रों की संख्या बालक ________ बालिका ________
7. विकलांगता की किस्म को दर्शाएं -
8. विद्यालय की बिल्डिंग के निर्माण की तिथि -
9. विद्यालय के कंपाउंड में बिल्डिंगों की संख्या -
10. कक्षाओं की संख्या –
    - रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं की संख्या
    - भौतिकी की प्रयोगशालाओं की संख्या
    - जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं की संख्या
11. तलों की संख्या -
12. सीढ़ियों की संख्या -
13. क्या आपके विद्यालय में रसोई है ? हाँ / नहीं -------------
    यदि हाँ तो क्या रसोई में गैस चूल्हा है अथवा खुले में खाना बनाते हैं अथवा विद्यालय में कुकिंग गैस का कनेक्शन है -
14. क्या इनके लिए विद्यालय में अलग शौचालय है - छात्र-हाँ / नहीं छात्राएं-हाँ / नहीं
15. पीने के पानी के नलों की संख्या -
16. खेलने के मैदान (प्लेग्राउंड) का आकार और खुला क्षेत्र -
17. विद्यालय में स्थापित आग बुझाने वाले यंत्र -
    - यदि हाँ तो आग बुझाने वाले यंत्रों की संख्या –
    - वह तारीख जब उनको अंतिम बार जाँचा गया -
18. विद्यालय में रखी गई रेत की बाल्टियों की संख्या -
19. क्या सुरक्षित निकास संबंधी अभ्यास आयोजित किया गया - हाँ / नहीं
    यदि हाँ तो वह अंतिम तिथि बताएं जब अभ्यास संचालित किया गया और उसमें भाग लेने वाले छात्रों की संख्या बताएं –

(प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर)

(अनुबंध–II)

आपातकालीन प्रबंधन योजना जांच–सूची

विद्यालय का नाम एवं स्थान.................................... *तिथिः......................*

हाँ

1. क्या संबंधित विभागों से आपातकालीन नम्बरों की पुष्टि कर ली गई है ☐
2. क्या प्रधानाचार्य कक्ष में आपातकालीन नम्बरों को प्रमुखता से दर्शाया गया है ☐
3. क्या योजना में सरकारी सेवाओं तथा संबंधित शिक्षा प्राधिकरणों को आपातस्थिति की सूचना देने के लिए प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख है ? ☐
4. क्या पहचान किए गए कार्य–स्थल से एक किलोमीटर के भीतर और उतनी दूरी तक आपदा के संभावित जोखिम मौजूद हैं ? ☐
5. क्या योजना में सुरक्षित निकास योजना का स्पष्ट उल्लेख है ? ☐
6. क्या मुख्य कार्मिकों–कार्य बल टीम के प्रमुख, कक्षा अध्यापक, कार्यलय स्टाफ तथा छात्रों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट वर्णन किया गया है ? ☐
7. क्या आपातस्थिति के दौरान तथा उसके बाद छात्रों की सुरक्षा तथा पर्यवेक्षण के लिए स्टाफ के उत्तरदायित्वों का स्पष्ट वर्णन किया गया है ? ☐
8. क्या कक्षा v से नीचे की कक्षाओं वाले अधिक असुरक्षित छात्रों पर योजना में जोर दिया गया है ? ☐
9. क्या योजना में छात्रों की विशेष शारीरिक, मानसिक तथा चिकित्सा आवश्यकताओं का समाधान किया गया है ? ☐
10. क्या योजना में यह वर्णन है कि आपदा प्रबंधन टीम को किस तरह प्रशिक्षित किया जाए ? ☐
11. क्या योजना में संचालित किए जाने वाले कृत्रिम अभ्यासों के लिए कलैण्डर की व्यवस्था की गई है ? ☐
12. क्या योजना को स्थानीय पुलिस तथा फायर ब्रिगेड द्वारा पृष्ठांकित किया गया है ? ☐

अनुबंध–III

नमूना विद्यालय सुरक्षित निकास योजना

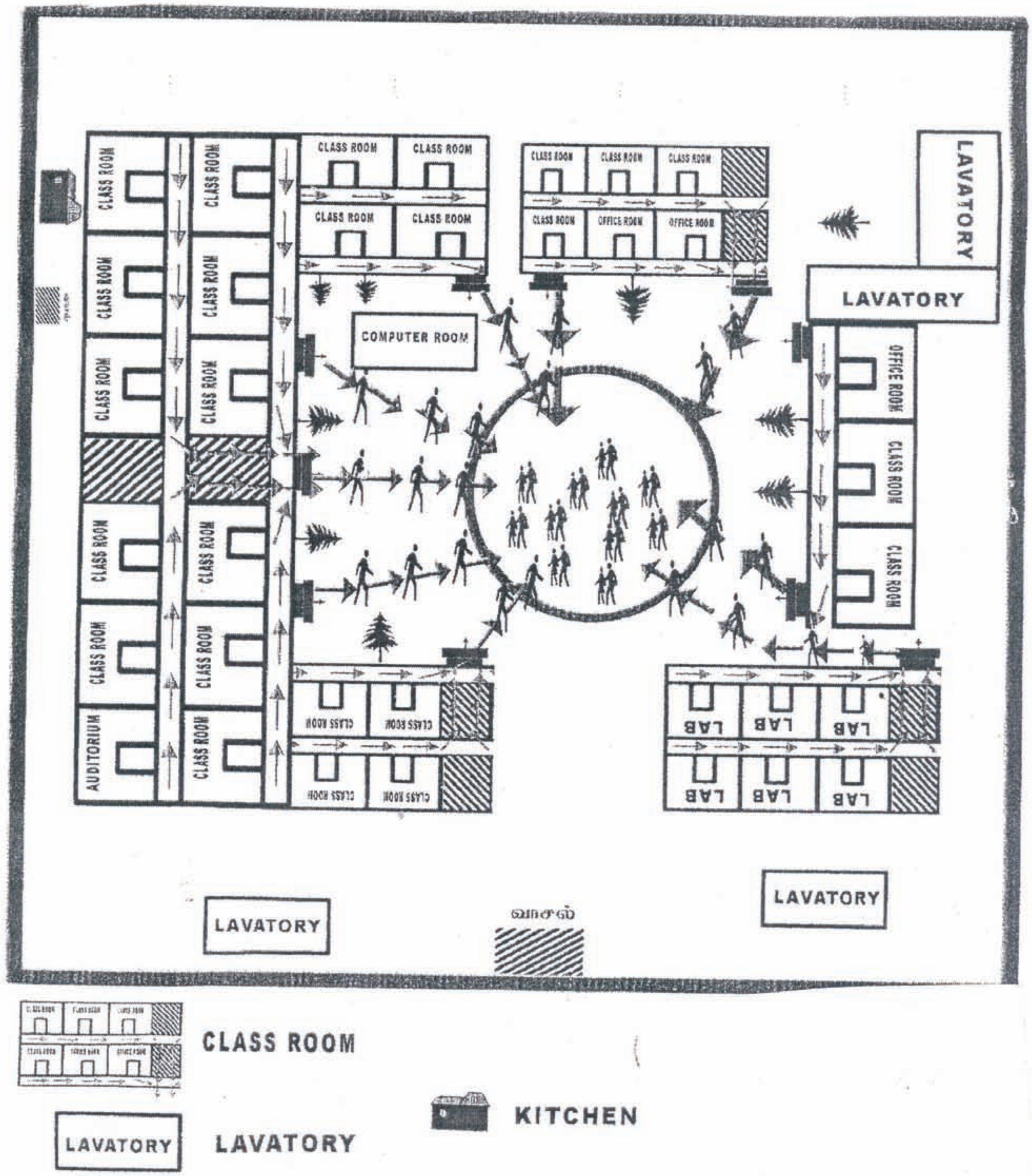

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

क्रमांकः– एफ165(13)पराविं/लेखा/एफएफसी/2015–16/ 19920-22 29.11.2016 जयपुर, दिनांकः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, समस्त।

विषयः–14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को देय अनुदान राशि के उपयोग हेतु संशोधित दिशा–निर्देश।

विभागीय पत्रांक एफ165(13)पराविं/लेखा/एफएफसी/2015–16/7007 दिनांक 20.10.2015 द्वारा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को देय अनुदान राशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के क्रम में पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों को समाहित करते हुए निम्नलिखितानुसार संशोधित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

A. **प्रस्तावनाः–**

चौदहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि 2015–16 से 2019–20 तक (5 वर्ष) है। 14वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से मूल अनुदान तथा वर्ष 2016–17 से कार्य निष्पादन अनुदान केवल ग्राम पंचायतों को ही देने का प्रावधान किया गया है। कार्य निष्पादन अनुदान के लिये आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण करने हेतु विभागीय पत्रांक एफ165(13)पराविं/लेखा/एफएफसी/2015–16/9607 दिनांक 05.02.2016 द्वारा पृथक से दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

B. **उददे्श्य एवं अनुमत कार्य :–**चौदहवें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता को सुधारने पर बल दिया गया है ताकि इन सुविधाओं के उपयोगकर्ताओं द्वारा इनका भुगतान करने की रजामन्दी बढ सके। अतः इस अनुदान का उपयोग स्वच्छता जिसमें सेप्टैज प्रबंधन शामिल है, सीवरेज, जल निकासी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाईट, स्थानीय ग्राम पंचायतों की सड़कों एवं फुटपाथों, पार्कों, खेल मैदानों तथा कब्रिस्तान एवं शमशान स्थलों का रखरखाव जैसी मूलभूत सेवाओं को प्रदान करने एवं सुदृढ करने हेतु किया जाना चाहिए। आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को दिये गये अनुदान को केवल मूलभूत सेवाओं, जो कि उन्हें संबंधित विधियों द्वारा सौंपी गई हो, पर खर्च करने के लिए निर्दिष्ट किया जाये।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के क्रम में कुछ संभावित कार्यो की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न हैं।

C. **ग्राम पंचायतों के तकनीकी एवं प्रशासनिक, परिचालन एवं संधारण व पूंजीगत व्ययों हेतु अधिकतम 10 प्रतिशत राशिः–**

14वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को देय कुल अनुदान राशि की अधिकतम 10 प्रतिशत राशि प्रति वर्ष ग्राम पंचायतों के तकनीकी एवं प्रशासनिक, परिचालन एवं संधारण व पूंजीगत व्ययों पर खर्च की जा सकेगी। यह राशि किसी भी स्थिति में ग्राम पंचायत को प्रदत्त अनुदान की 10 प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं की जा सकेगी।

इसके अंतर्गत प्राथमिकता के क्रम में अनुमत कार्यों की सूची एवं गैर अनुमत कार्यो की सूची परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

D. **कार्यकारी ऐजेन्सीः–** चौदहवें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त अनुदान के उपयोग हेतु कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत ही होगी। जिला परिषद एवं पंचायत समिति उक्त अनुदान के सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगी।

E. **राशि का अन्तरणः–**

ग्राम पंचायतों हेतु चौदहवें वित्त आयोग के तहत प्राप्त होने वाली अनुदान राशि की 100 प्रतिशत राशि केवल ग्राम पंचायतों को नवीनतम राज्य वित्त आयोग, जिसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई है, द्वारा निर्धारित वितरण सूत्र (Distribution Formula) के आधार पर बैंकिग चैनल के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जावेगी। ग्राम पंचायतों को होने वाले अन्तरण की ग्राम पंचायतवार सूचना विभाग द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा लेखाधिकारी जिला परिषद को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जावेगी। यह सूचना विभागीय वेबसाइट www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध कराई जावेगी।

F. **उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं आगामी किश्त जारी करना :–**

1. ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि के हस्तांतरण एव उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधी व्यवस्था ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 भाग–4 में अंकित प्रावधानो के अनुसार होगी। इस भाग 4 में के निर्देश संख्या 45 में उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण–पत्र, राशि समायोजन (निर्देश संख्या 55) पर पूर्ण प्रावधान अंकित है।
2. चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली अनुदान राशि का उपयोग इन दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जावेगा। ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र संबंधित पंचायत समिति में प्रेषित किया जावेगा।
3. ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायतों से प्राप्त करने और जिला परिषद को प्रस्तुत करने हेतु विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति उत्तरदायी होंगे।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद का यह दायित्व होगा कि जिला परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाली पंचायत समितियों से प्राप्त होने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर पंचायती राज विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दियां जावें।

G. **कार्यो की स्वीकृति एवं सम्पादन संबंधी व्यवस्था :–**

1. योजनांतर्गत कार्यो का संपादन विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 भाग–1 में अंकित प्रावधानों एवं प्रकिया के अनुरूप ही किया जायेगा। यह निर्देशिका विभागीय परिपत्र क्रमांक 18/2015 दिनांक 18.8.15 के द्वारा जारी की गई है, जो विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। इस निर्देशिका को निम्न पांच भागों में बनाया गया है –

भाग एवं नामकरण	भाग में महत्वपूर्ण निर्देश/संबंधित
भाग 1 – सामान्य प्रावधान,	कार्य स्वीकृत करने की प्रकिया संबंधी प्रावधान
भाग 2 – कार्य सम्पादन से पूर्व की प्रकिया,	कार्यकारी संस्था एवं स्वीकृतिकर्ता अधिकारी एवं अभियान्त्रिकी से संबंधित प्रकियाएं
भाग 3 – कार्य सम्पादन की प्रकिया	कार्यकारी संस्था, अभियान्त्रिकी शाखा
भाग 4 – कार्य सम्पादन के बाद की प्रकिया	अभियान्त्रिकी शाखा, कार्यकारी संस्था, नियंत्रक अधिकारी एवं लेखा शाखा
भाग 5 – अन्य प्रावधान	

उपरोक्त समस्त भाग एवं इनमें अंकित दिशा–निर्देश सरल भाषा में अंकित है। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निधियों का उपयोग करने से पूर्व इस निर्देशिका के प्रत्येक प्रावधान की पूर्ण जानकारी प्राप्त की जावे एवं इसकी पालना सुनिश्चित की जावे।

2. ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 भाग– 1 में कार्यो की स्वीकृतियां जारी करने, संशोधन, शिड्यूल ऑफ पावर्स, सम्पत्तियां का रख–रखाव एवं मरम्मत कराने हेतु आवश्यक प्रावधान (निर्देश संख्या 8), दर अनुसूची, भूमि स्वामित्व, कार्यवाही निष्पादन की निर्धारित अवधि आदि अंकित है, इनकी पालना सुनिश्चित की जावे।

3.ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 भाग- 2 में वार्षिक कार्य योजना (निर्देश संख्या 20), विभिन्न मूलभूत संसाधन स्वीकृत करने के न्यूनतम मापदण्डों (निर्देश संख्या 21), कार्यों के सम्पादन के पश्चात अनिवार्य अपेक्षित स्थिति (निर्देश संख्या 22), निर्माण कार्यों के तकनीकी मापदण्ड (निर्देश संख्या 23), कार्यकारी संस्था (निर्देश संख्या 24), नियंत्रक अधिकारियां एवं फील्ड के अभियन्ता के मुख्य उत्तरदायित्व (निर्देश संख्या 25), तकमीना (निर्देश संख्या 26-27), सामग्री क्रय प्रक्रिया (निर्देश संख्या 28) आदि अंकित है, इनकी पालना सुनिश्चित की जावे।

4.ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 भाग- 3 में कार्यकारी संस्था के कर्तव्य उत्तरदायित्व (निर्देश संख्या 29), पेयजल स्रोत स्थापना हेतु प्रक्रिया (निर्देश संख्या 31), मस्टररोल (निर्देश संख्या 32), कार्य सम्पादन प्रकिया में अभियान्त्रिकी शाखा से संबंधित बिन्दु यथा - रिकोर्ड ऐन्ट्री एवं उनका सत्यापन (निर्देश संख्या 35), गुणवत्ता नियंत्रण (निर्देश संख्या 36 37), कार्यों की निरीक्षण प्रकिया (निर्देश संख्या 38) आदि अंकित है, इनकी पालना सुनिश्चित की जावे।

5.ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 भाग- 4 में विभिन्न संस्थाओं की भूमिकाएं (निर्देश संख्या 39), मूल्यांकन की आवश्यकता एवं प्रकिया (निर्देश संख्या 40-47), दोष चिन्हीकरण अवधि (निर्देश संख्या 48), समय पर कार्य न करने पर शास्ती (निर्देश संख्या 49),कार्यकारी संस्थाओं के लिए कार्य सम्पादन के दौरान एवं बाद की प्रकिया (निर्देश संख्या 50), मूल्यांकन अथवा जांच पर अपील (निर्देश संख्या 51), परिसम्पति पंजिका (निर्देश संख्या 52), सम्पत्तियों का हस्तान्तरण (निर्देश संख्या 53), किश्त जारी करने एवं व्यय राशि भुगतान की पारदर्शिता व्यवस्था (निर्देश संख्या 54) एवं नियंत्रक अधिकारी की भूमिका (निर्देश संख्या 55) आदि अंकित है, इनकी पालना सुनिश्चित की जावे।

6.ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 भाग- 4 में अन्य समस्त प्रावधान आदि अंकित है, इनकी पूर्ण पालना सुनिंश्चित की जावे।

7.प्रत्येक कार्यकारी संस्था को यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 के प्रावधानो की अवहेलना होने पर कार्यकारी संस्था व्यक्तिशः जिम्मेदार होगी।

8.योजनांतर्गत प्राप्त राशि का मासिक लेखा ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायत समिति को आगामी माह की 5 तारीख तक एवं पंचायत समिति द्वारा जिला परिषद को 7 तारीख तक जिला परिषद द्वारा विभाग को पंचायत समितिवार प्रगति 10 तारीख तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9.मासिक प्रगति प्रपत्र एफएफसी/1 (वित्तीय प्रगति), एफएफसी/2 (भौतिक प्रगति) एवं एफएफसी/3 (बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र) में प्रस्तुत की जावेगी।

उपरोक्त दिशा-निर्देश वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग की आई.डी. संख्या 271600440 दिनांक 21.11.2016 से अनुमोदित है।

संलग्न :- परिशिष्ट- 1, 2 एवं 3

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

क्रमांकः- एफ165(13)पराधि/लेखा/एफएफसी/2015-16/ 19923-32 29.11.16 जयपुर, दिनांकः-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र, लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज।
5. निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (ई.ए.डी.) विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय 5) विभाग, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी जिला परिषद समस्त एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त दिशा-निर्देशों की प्रति आपके अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराते हुए 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करावे।
9. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (योजना)/अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.), मुख्यालय।
10. ऐनालिस्ट कम प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

(डा. अरविन्द मिश्रा)
वित्तीय सलाहकार

परिशिष्ट–1

चौदहवें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त अनुदान का उपयोग निम्नलिखित मूलभूत सेवाओं एवं गतिविधियों पर किया जा सकेगा :–

1. पेयजल आपूर्ति हेतु कुओं एवं पानी की सार्वजनिक टंकियों का निर्माण।
2. बावड़ियों, टांकों, कुओं, पनघट, हैंडपम्प आदि जिनसे पेयजल आपूर्ति हो, सुदृढ़ हो सके, का जीर्णोद्धार/निर्माण/सवर्धन/तथा खराब हैण्डपम्पों का उचित संधारण करना।
3. पेयजल संग्रहण स्थानों जैसे कुएँ, पानी की टंकियाँ इत्यादि से ग्रामीण जन के आवासों/शिक्षण संस्थाओं/सामुदायिक भवनों आदि तक पेयजल आपूर्ति हेतु आवश्यक पाईपलाईन बिछाने की व्यवस्था करना।
4. भूमिगत जलस्त्रोंतो से पेयजल आपूर्ति हेतु टंकियों में जल संग्रहण करने हेतु यदि आवश्यकता प्रतीत होती हो तो, यंत्र/मोटर के संधारण की उचित व्यवस्था करना।
5. जनता जल योजना के रखरखाव (ओ और एम.) को सम्मिलित करते हुए विद्युत बिलों का भुगतान।
6. सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और पुरूषों के लिए पृथक–पृथक सार्वजनिक शौचालयों/चल शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय शिक्षण संस्थानों में बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
8. पंचायत क्षेत्रों में गंदे पानी के निकास हेतु नालियों का निर्माण।
9. तरल एवं ठोस अपशिष्ठ के निपटान एवं निकास के लिए व्यवस्था करना।
10. ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किये जाने वाले हाट बाजार, मेला स्थल, सार्वजनिक प्रदर्शनी स्थल आदि के लिए चल शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
11. पंचायत क्षेत्र में कूड़ा करकट के निपटान एवं सामान्य साफ–सफाई बनाये रखने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करना।
12. पंचायत क्षेत्र में ऐसे स्थल जहां गंदे पानी के एकत्रित होने की संभावना हो जिससे मच्छर पनपने अथवा बीमारी फैलने का अंदेशा हो सकता हो, का चिह्नीकरण कर उपचारात्मक उपाय करना।
13. ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे शौचालयों को फ्लश वाले शौचालयों में बदलना और यदि कहीं हो तो, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की उपयुक्त व्यवस्था करना।
14. ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सम्पत्तियों का रखरखाव ।
15. ग्रामीण क्षेत्रों में पार्कों एवं मैदानों का रखरखाव।
16. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, फुटपाथों, कब्रिस्तान एवं शमशानों का रखरखाव।
17. ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईट एवं प्रकाश व्यवस्था।
18. ग्रामीण क्षेत्रों में सेप्टैज प्रबंधन एवं सीवेज प्रबंधन संबधी कार्य।
19. राजकीय भूमि पर निर्मित/संचालित आंगनबाडी केन्द्रों पर शौचालयों का निर्माण एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना।
20. ऐसे अन्य कार्य जिनसे 14वें वित्त आयोग द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों में उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सके।

(अरविन्द मिश्रा)
वित्तीय सलाहकार

अग्नि सुरक्षा जानकारी

- अपने संस्थान के लिए "आपात्कालीन योजना" बनाएं और सुनिश्चित करें कि प्रत्येक को इसकी जानकारी हो।
- अपने विद्यालय को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा भवन नियमों व महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करें।
- आपात्कालीन परिस्थितियों में फायर अलार्म का उपयोग करें (मैनुअल अलार्मिंग सिस्टम का अभ्यास करें) और आग लगने पर सभी को चौकस/सावधान करें।
- सामान्य दिनों में अपनी आंखें बंद करके बचाव के रास्तों से बाहर निकलने का अभ्यास करें।
- आपात्कालीन के रास्तों को हमेशा साफ रखें और इनमें किसी प्रकार की रूकावट या अवरोध न डालें।
- भंडारण तथा कार्य क्षेत्रों को कूड़े-कचरे से दूर रखें।
- भोजन बनाने वाले कर्मियों (स्टाफ) को रसोईघर में काम करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।
- "प्राथमिक उपचार किट" हमेशा तैयार रखें और आपात् स्थितियों के लिए तैयार रहें। प्राथमिक उपचार किट को ऐसे स्थान पर रखें, जहां आसानी से पहुंचा जा सके।
- मिट्टी के तेल, गैस सिलिंडर आदि जैसी ज्वलनशील वस्तुओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
- आग लगने पर तुरंत विद्युत उपकरणों का संपर्क मुख्य धराओं से काट दें।
- बिजली की पुरानी वायरिंग, व अन्य इलेक्ट्रिक फिटिंग्स की सतत मरम्मत व देखभाल करें/संभावित खतरे की जानकारी अपने इलेक्ट्रिशियन को दें।
- अग्निशमन उपकरणों को चालू हालत में रखें और इनका प्रयोग सीखें।
- बच्चों को 'अग्नि सुरक्षा नियमों' की जानकारी दें।
- आपात्कालीन परिस्थितियों में घबरायें नहीं। शांति और धीरज से काम लें। अपने क्लास-रूम (कक्षाओं) से शीघ्र बाहर आ जाएं।

आग लगने पर :

- अपनी और अपने मित्रों की रक्षा करें। शांत रहें, घबराएं नहीं।
- अलार्म बजाएं और सभी को चौकस करें।
- नजदीकी निकास मार्गों अथवा आपात्कालीन मार्गों का उपयोग करें।
- निकलने से पहले सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें।
- लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें।
- खड़े न हों, जमीन पर रेंगते हुए बाहर निकलें/ बाहर निकलते समय चेहरा ढका हो।
- तेज आवाज में चिल्लाकर बचाव दल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें।

यदि किसी को आग लग जाए तो :

- दौड़ें नहीं, हमेशा रुकें, जमीन पर लेटकर रोल करें। जमीन पर रोल होने से कपड़ों पर लगी आग बुझ जाती है।

आग लगने पर या आपात्स्थिति में तत्काल अग्निशमन सेवा को 101 पर डायल करें, यह नंबर टॉल फ्री है। इस दौरान निम्नलिखित बातें याद रखें :

- अग्निशमन सेवा को आग लगने की सूचना देते समय शांत रहें।
- कॉल करने वाले का सही नाम और पता बताएं।
- अपना संपर्क नंबर दें।
- आपात्स्थिति की प्रकृति बताएं- बताएं कि आग किस प्रकार की है।
- नजदीक का कोई पहचान स्थान बताएं।
- घटना स्थल पर आसानी से पहुंचने का छोटा रास्ता बताएं। इससे अग्निशमन सेवा दल को पहुंचने में आसानी होगी और वे कुशलता पूर्वक अपना काम कर सकेंगे।

- सभी आपात्कालीन राहत कर्मियों के नम्बर प्रदर्शित करें और सभी तलों पर निकास मार्ग मानचित्र टांगे।
- हमेशा खुद की, अपने मित्रों तथा अपने स्कूल की रक्षा करें।

अग्नि सुरक्षा
क्या करें
रेत व पानी की बाल्टियां एवं अग्निशमन यंत्र तैयार रखें
आग लगने पर "रुको, लेटो और लुड़को" सिद्धान्त का पालन करें
कमरे में धुवां भरने पर घुटनों के बल रेंगें
nidm
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
वेबसाइट : www.nidm.gov.in

अग्नि सुरक्षा
क्या न करें
बिजली के सॉकेट पर अधिक भार देना
छत पर सूखे पत्तों को इकट्ठा होने देना
घने, संकरे स्थानों पर व गाड़ियो के निकट पटाखे जलाना
nidm
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
वेबसाइट : www.nidm.gov.in

सड़क सुरक्षा
क्या करें
गाड़ी में सीट बेल्ट जरूर लगाएं
हैलमेट अवश्य लगाएं
ट्रैफिक सिग्नलों व नियमों का पालन करें
nidm
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
वेबसाइट : www.nidm.gov.in

सड़क सुरक्षा
क्या न करें
ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना
गलत दिशा से ओवरटेक करना
शराब पीकर गाड़ी चलाना
nidm
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
वेबसाइट : www.nidm.gov.in

बाढ़
क्या करें
आपातकालीन किट, कीमती व जरूरी कागजात तैयार रखें
बाढ़ की चेतावनी को ध्यान से सुनें
तुरंत ऊँचे स्थान पर चले जाएं
nidm
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
वेबसाइट : www.nidm.gov.in

बाढ़
क्या न करें
बाढ़ के पानी में जाना
बिजली के खंभों व तारों के करीब खड़ा होना
बिना उबाले पानी पीना
nidm
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
वेबसाइट : www.nidm.gov.in

भूकम्प
क्या करें
झुको ढको और पकड़ो
खुले में बाहर भागो
बिजली का मेन स्विच ऑफ कर दो
nidm
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
वेबसाइट : www.nidm.gov.in

भूकम्प
क्या न करें
कच्चे, नए बने व जर्जर मकान एवं खिड़की के समीप खड़े रहना
बिजली के खंभों व पेड़ के नीचे खड़े रहना
LIFT
भागने के लिए लिफ्ट का प्रयोग करना
nidm
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
वेबसाइट : www.nidm.gov.in

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर : 0141–2708739

विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम
विद्यालय स्तरीय सूचना प्रपत्र (राजकीय विद्यालय हेतु)

क्रम सं	प्रश्न	
1.	क्या विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाई गई है	हॉ नहीं
2a	क्या विद्यालय भवन की संरचनात्मक सुरक्षा जांच AEN/JEN द्वारा करवायी गई है	हॉ नहीं
2b	क्या विद्यालय की गैर संरचानात्मक भवन की जांच AEN/JEN द्वारा करवायी गई है	हॉ नहीं
3.	क्या विधार्थीयो को आपदा से बचाव हेतु वार्षिक कृत्रिम ड्रिल (Mock Dril) करवायी जाती है	हॉ नहीं
4.	क्या विद्यालय में आग से सुरक्षा हेतु अग्निशामक यंत्र लगाए हुए है	हॉ नहीं
5.	क्या ज्वलनशील एवं विषैली सामग्री से विधार्थीयो की सुरक्षा हेतु विद्यालय में उपयुक्त व्यवस्था की गई है	हॉ नहीं
6.	क्या विद्यालय भवन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संरचनात्मक सुरक्षा मापदण्डो के अनुसार निर्मित है।	हॉ नहीं
7.	क्या विद्यालय को विद्यालय की भवन की संरचनात्मक सुरक्षा मापदण्डो को पूरा करने के आधार पर मान्यता प्रदान की गई है।	
8.	क्या आपके विद्यालय के शिक्षको एवं विधार्थियों को विद्यालय सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित प्रशिक्षण करवाया गया है	हॉ नहीं
	यदि हॉ तो शिक्षको की संख्या अंकित करें	
8.a.	क्या आपके विद्यालय के विधार्थियो को विद्यालय सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित प्रशिक्षण करवाया गया है	हॉ नहीं
	यदि हॉ तो प्रशिक्षण लेने वाले विधार्थियों की संख्या अंकित करें	
9.	क्या विद्यालय में संचालित कक्षाओं में से किसी कक्षा की पाठयपुस्तको में आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की जा रही है	हॉ नहीं
10.	विद्यालय में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के प्रभारी शिक्षक का नाम एवं मोबाईल नम्बर	हॉ नहीं

विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम विद्यालय स्तरीय सूचना प्रपत्र (मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय हेतु)

क्रम सं	प्रश्न	
1.	क्या विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाई गई है	हॉ नहीं
2a	क्या विद्यालय भवन की संरचनात्मक सुरक्षा जांच AEN/JEN द्वारा करवायी गई है	हॉ नहीं
2b	क्या विद्यालय की गैर संरचानात्मक भवन की जांच AEN/JEN द्वारा करवायी गई है	हॉ नहीं
3.	क्या विधार्थीयो को आपदा से बचाव हेतु वार्षिक कृत्रिम ड्रिल (Mock Dril) करवायी जाती है	हॉ नहीं
4.	क्या विद्यालय में आग से सुरक्षा हेतु अग्निशामक यंत्र लगाए हुए है	हॉ नहीं
5.	क्या ज्वलनशील एवं विषैली सामग्री से विधार्थीयो की सुरक्षा हेतु विद्यालय में उपयुक्त व्यवस्था की गई है	हॉ नहीं
6.	क्या विद्यालय भवन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संरचनात्मक सुरक्षा मापदण्डो के अनुसार निर्मित है।	हॉ नहीं
7.	क्या विद्यालय को विद्यालय की भवन की संरचनात्मक सुरक्षा मापदण्डो को पूरा करने के आधार पर मान्यता प्रदान की गई है।	
8.	क्या आपके विद्यालय के शिक्षको एवं विधार्थियों को विद्यालय सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित प्रशिक्षण करवाया गया है	हॉ नहीं
	यदि हॉ तो शिक्षको की संख्या अंकित करें	
8a.	क्या आपके विद्यालय के विधार्थियो को विद्यालय सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित प्रशिक्षण करवाया गया है	हॉ नहीं
	यदि हॉ तो प्रशिक्षण लेने वाले विधार्थियों की संख्या अंकित करें	
9.	क्या विद्यालय में संचालित कक्षाओं में से किसी कक्षा की पाठयपुस्तको में आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की जा रही है	हॉ नहीं
10.	विद्यालय में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के प्रभारी शिक्षक का नाम एवं मोबाईल नम्बर	
11.	क्या विद्यालय को भवन सुरक्षा मापदण्डों को पूरा करने के आधार पर, RTE नियम 2010 के उप नियम (4) के नियम –15 के अन्तर्गत मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया है	

विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

विद्यालय की संरचनात्मक सुरक्षा (Structural Safety) मूल्यांकन प्रपत्र–1

क्रम सं	विवरण	हॉ	नहीं	यदि नही तो विवरण/असुरक्षित होने का कारण
1.	क्या विद्यालय भवन व परिसर प्राकतिक आपदा (यथा बाढ) से सुरक्षित है?			
2.	क्या विद्यालय भवन निर्माण में भूकम्परोधी तकनीक का उपयोग किया गया है?			
3.	क्या विद्यालय भवन को राष्टीय भवन निर्माण मापदण्ड 2005 के नियमानुसार बनाया गया है?			
4.	क्या भवन निर्माण में अग्निरोधी/आग नहीं पकडने वाली तथा तापरोधी सामग्री का ही उपयोग किया गया है?			
5.	क्या भवन निर्माण संरचनात्मक इन्जिनियर/ सिविल इन्जिनियर के सुपरविजन में हुआ है?			
6.	क्या विद्यालय भवन में अतिरिक्त कक्षा– कक्षो का निर्माण विद्यालय में स्थान की पर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रख कर किया गया है?			
7.	क्या वर्तमान भवन में उपर की मंजिल निर्माण में भूकम्प के असर को कम से कम करने की तकनीक का इस्तेमाल किया गया हैं?			
8.	क्या आसान निकासी के लिए प्रत्येक कक्षा–कक्ष में दो दरवाजे है?			
9.	पर्याप्त प्रकाश एवं हवा के लिए दो खिडकियां है ?			
10.	क्या विद्यालय में उपर की मंजिल पर जाने व उतरने के लिए पर्याप्त चौडाई की दो सीडियां है?			
11.	क्या विद्यालय में बालिकाओं के लिए पथक शौचालय की व्यवस्था है?			
12.	क्या विद्यालय में बालको के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था है?			
13.	क्या विद्यालय की दीवारो में कहीं दरारे आ रही है?			
14.	क्या विद्यालय भवन का प्लास्टर जगह जगह से टुटा हुआ है?			
15.	क्या विद्यालय भवन के दरवाजों/ खिडकियों के उपर लगे छज्जे (Sun Shades) टुटे हुए है?			
16.	क्या विद्यालय भवन में नींव सुरक्षा (Plinth Protection) की व्यवस्था की गई है?			
17	क्या विद्यालय भवन की छतों पर वर्षा जल निकासी की उचित व्यवस्था की गई है?			